पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2018

अनवान :

1. कृष्ण कुमार 2. बजरंग 3. दिनेश कुमार 4. शंकर लाल	पुत्रान इन्द्राज जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

इन्द्राज वल्द अनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं0 44/42 के खसरा सं0 463/2 की 0.7310 है0 बारानी वादीगण के पिता प्रतिवादी के नाम दर्ज है में प्रतिवादी इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी इन्द्राज ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-8-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2018

अनवान :

1. कृष्ण कुमार
2. बजरंग
3. दिनेश कुमार
4. शंकर लाल

पुत्रान इन्द्राज जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

इन्द्राज वल्द अनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादी

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादीगण

वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादी

दिनांक : 02-8-18

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं0 44/42 के खसरा सं0 463/2 की 0.7310 है0 बारानी जो विवादित कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज है व वादीगण के पिता को वादीगण के दादा अनाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वादीगण पुश्तैनी व पैत्रक कृषि भूमि है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी इन्द्राज के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, वादीगण प्रतिवादी के चार पुत्र है, वादीगण के कोई बहन नहीं है। वादीगण के पिता सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी है, जिनको पेंशन मिलती है, जिससे वे अपना भली भांति जीवन यापन करते है, चूंकि वादीगण के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा जीवनयापन का कोई साधन नहीं है जो बाल बच्चेदार है इसलिए वादीगण के पिता प्रतिवादी ने परिवारिक समझौते में उक्त कृषि भूमि में अपना समस्त हक–हिस्सा वादीगण को दे दिया इस प्रकार वादीगण कुल वाद भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नहीं है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में दिनेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कलाना खाता सं0 44/42 सम्वत् 2074 – 77 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम कलाना सम्वत् 2019 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादिया सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादीगण के पिता को वादीगण के दादा अनाराम से विरासतन प्राप्त हुई है इसलिए उक्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी व पैत्रक कृषि भूमि है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादीगण के पिता सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा ग्राम कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि में जो फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम कलाना सम्वत् 2019 प्रदर्श 3 पेश की है उसमें वाद भूमि वादीगण के दादा अना वल्द नन्दा के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि पैत्रक दादालाई होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में इन्द्राज के चार पुत्र कृष्ण कुमार, बजरंगलाल, दिनेश कुमार व शंकरलाल होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं0 44/42 के खसरा सं0 463/2 की 0.7310 है0 बारानी वादीगण के पिता प्रतिवादी के नाम दर्ज है में प्रतिवादी इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी इन्द्राज ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-8-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़